



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]
No. 124]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2006/ज्येष्ठ 25, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2006/JYAISTHA 25, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

सं. 22 (आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/172/ए एम 06/पीसी-I.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा वर्ष 2005—2006 के दौरान निर्यातों के लिए लागू प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I, 2004—2009 (अर्थात् 31-03-2005 को अद्यतन और समय-समय पर संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

1. आवेदन-पत्र (परिशिष्ट 17घ) 2005-2006 की निर्यात अवधि के लिए लक्ष्योपरि योजना (2005-2006) हेतु इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' के साथ संलग्न है।
2. 31-03-2005 को अद्यतन परिशिष्ट 17ड और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1, 2004—2009) के पैरा 3.2.5 (VIII) को हटा दिया गया है।
3. पैरा 3.2.5 (IX) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—“आवेदक अपने आवेदन परिशिष्ट 17घ में आवेदक के पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय के स्थल के आधार पर क्षेत्राधिकार प्राप्त जोनल कार्यालय (मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, दिल्ली, क्षेत्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) को प्रस्तुत करेगा। जोनल कार्यालय में संबंधित जोनल समितियां इन आवेदनों पर विचार करेंगी तथा लइसेंस जारी करेंगी अथवा अन्यथा कार्यवाही करेंगी।”
4. पैरा 3.2.5 (X) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—
“आवेदन केवल क्षेत्राधिकार प्राप्त जोनल कार्यालय को व्यक्तिगत तौर (मैन्यूअली) पर प्रस्तुत होगा।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

परिशिष्ट-17घ

अनुसूची 'क'

2005-06 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए लक्ष्योपरि स्कीम हेतु आवेदन पत्र
(कृपया वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए लागू विदेश व्यापार नीति 2004-09 (अर्थात् समय-समय पर संशोधित और 31-03-2005 को अद्यतन) के पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.8 और वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए लागू प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 2004-09 (अर्थात् 31-03-2005 को अद्यतन और समय-समय पर संशोधित) के पैराग्राफ 3.2.5 को देखें।

कार्यालय प्रयोग के लिए
फाइल सं०.....

दिनांक

1. नाम और पता :

.....
.....
.....

2. आयातक निर्यातक कोड संख्या:

3. वर्ष 2005-2006 के लिए स्तर
प्रमाण पत्र का ब्यौरा

(क) स्तर

1/2/3/4/5 स्टार निर्यात सदन/निर्यात सदन/
व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार
व्यापार सदन (संबंधित स्तर पर निशान लगायें)

(ख) स्तर प्रमाण पत्र संख्या :

(ग) जारी करने की तारीख :

(घ) से वैध :

(ड.) तक वैध :

4. आर सी एम सी संख्या और तारीख :

द्वारा जारी

5. समूह के सभी स्टार निर्यात सदनों का ब्यौरा (टिप्पणी 1 देखें)

क्रम सं०	समूह कम्पनी का नाम	कम्पनी का स्तर (1/2/3/4/5 स्टार निर्यात सदन/निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन)	पात्र निर्यात कारोबार (करोड़ रु० में)	
			2004-05	2005-06
1				
2				
3				
	सभी स्टार निर्यात सदनों का कुल समूह कारोबार			

6. निर्यात के मूल्य का परिकलन और पात्रता: (टिप्पणी 2 से 10 देखें)

क्र.सं.	श्रेणी	निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अमेरिकी डालर में	
		क	ख
		2004-05	2005-06
पंक्ति 01.	वार्षिक निर्यात कारोबार		
पंक्ति 02.	क्रमांक-6 पर की गई घोषणा के अनुसार (क से ट) श्रेणियाँ के तहत किया गया निर्यात		
पंक्ति 03.	पात्र निर्यात = पंक्ति 01- पंक्ति-02		
पंक्ति 03क	अमेरिकी डालर में उत्तरोत्तर वृद्धि (% में) = $100 * (\text{पंक्ति 3 का कालम ख} - \text{पंक्ति 3 का कालम क}) / \text{पंक्ति 3 का कालम क}$		
पंक्ति 04.	पात्र निर्यात (रूपयों में)		
पंक्ति 05.	वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान निर्यातों हेतु विशेष कृषि उपज योजना के तहत निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (रु. में)		
पंक्ति 06.	शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी हेतु पात्र निर्यात (रूपए में) = पंक्ति 05 का कालम ख - पंक्ति 05 का कालम क)		
पंक्ति 07.	वर्ष 2005-06 में पंक्ति 06 में बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राप्त रकम की प्रतिशतता (प्रतिशत में) (निर्धारित प्रपत्र के अनुसार परिकलन शीट संलग्न करें)		
पंक्ति 08.	लक्ष्योपरि शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी पर वैल्यू कैप (रूपए में) = $5\% * \text{पंक्ति 06 का कालम क}$		
पंक्ति 09.	कुल लक्ष्योपरि शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी के लिए पात्र (रूपए में) = $\{5\% * (\text{पंक्ति 06 का कालम ख} - \text{पंक्ति 06 का कालम क})\}$ अथवा $\{\text{उपर्युक्त पंक्ति 08 में वैल्यू कैप}\}$, जो भी कम हो।		
पंक्ति 10.	लक्ष्योपरि शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी का मूल्य जिसके लिए लागू है (रूपए में) = $\{\text{पंक्ति 07} * \text{पंक्ति 09}\}$ अथवा $\{\text{पंक्ति 07} * \text{उपर्युक्त पंक्ति 08 में वैल्यू कैप}\}$, जो भी कम हो।		
पंक्ति 11.	अधिशेष लक्ष्योपरि शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी बकाया (रूपए में) = पंक्ति 09 - पंक्ति 10		
पंक्ति 12.	उत्पाद समूहों का मूल्यवार ब्यौरा		
	क्रम सं.	उत्पाद समूह	पात्र निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, रूपयों में (2005-06)
	1.	इंजिनियरी	
	2.	रसायन	
	3.	प्लास्टिक	
	4.	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	
	5.	खेल कूद का सामान	

6.	मत्स्य और मत्स्य उत्पाद	
7.	खाद्य उत्पाद	
8.	हस्तशिल्प	
9.	इलेक्ट्रानिक्स	
10.	वस्त्र	
11.	विविध	

7. खण्डित लक्ष्योपरि हकदारी का ब्योरा, यदि कोई हो, निम्नलिखित के लिए प्रार्थनीय है:-

क्रम सं.	हकदारी	खण्डित हकदारी का ब्योरा	पंजीकरण का पत्तन

8. आवेदन शुल्क का ब्योरा:

क. डीडी/टीआर का मूल्य:

ख. संख्या और जारी करने वाले बैंक का नाम:

9. पंजीकरण का पत्तन (आयात प्रयोजन हेतु):-----

(कृपया खण्डों के लिए, उपरोक्त क्रम संख्या 7 में प्रत्येक खण्ड के पंजीकरण के पत्तन का उल्लेख करें।)

10. सहायक विनिर्माता को सह-लाइसेंसधारक के रूप में पृष्ठांकन करना और उसका विवरण (वैकल्पिक):

इस योजना के तहत आयात की जाने वाली अनुमत वस्तुओं का निर्यातित उत्पादों के साथ सह सम्बन्ध होगा और इस संबंध में आवेदक परिशिष्ट 17घ में घोषणा करेगा। इस स्कीम के तहत आयात हकदारी के लिए, सह संबंध का अर्थ होगा, हकदारी प्रमाणपत्र के कुल मूल्य के अन्तर्गत निर्यातित माल के किसी भी उत्पाद समूह के संबंध में आयातित माल।

सहायक विनिर्माता की क्रम सं.	सहयोगी विनिर्माता/ सहायक विनिर्माता/जाब वर्कर का नाम, पता, स्थायी लेखा संख्या, दूरभाष सं०	उत्पाद समूह की क्रम संख्या	उत्पाद समूह	पात्र निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 2005-06	
1		1		अमरीकी डालर	रुपए
		2			
		3			
उप योग					
2		1			
		2			
उप योग					

11. घोषणा और वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह आवेदन लाइसेंसिंग वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान किए गये निर्यात (मुक्त विदेशी मुद्रा में) पर आधारित है और वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए लागू प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 2004-09 (अर्थात् 31-03-2005 को अद्यतन और समय-समय पर

यथा संशोधित) के पैरा 3.2.5 (I) में विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त की गई निर्यात आय के संबंध में लाभ का दावा किया गया है।

- II. मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि मैं/हम आवेदक के बदले कथन को सत्यापित/हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं।
- III. मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य कोई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
- IV. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने वर्ष 2005-06 के दौरान (मुक्त विदेशी मुद्रा में) निर्यात पर आधारित नीति के पैरा 3.7.1 के तहत जारी न तो लक्ष्योपरि डी एफ सी ई हकदारी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है और न ही प्राप्त किया है।
- V. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हम विदेश व्यापार नीति/ प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के प्रावधानों और संगत सीमाशुल्क अधिसूचना का स्कीम के तहत माल के आयात के समय तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के तहत आगे के प्रयोग हेतु पालन करेंगे।
- VI. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि निर्यात की गणना हेतु निम्नलिखित निर्यातों को शामिल नहीं किया गया है नामतः:
 - क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.3.5 के तहत शामिल आयातित माल के निर्यात अथवा ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किए निर्यात।
 - ख) एस ई जैड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी आई/बीटीपी स्कीमों के तहत कार्यरत यूनिटों के निर्यात कारोबार अथवा उन यूनिटों द्वारा की गयी आपूर्तियाँ अथवा उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों और डी टी ए यूनिटों के माध्यम से निर्यात।
 - ग) मान्य निर्यात (चाहे भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ हो और ई ई एफ सी लेखा से भुगतान किया गया हो)।
 - घ) सेवा निर्यात।
 - ङ.) हीरा और अन्य कीमती, अर्ध-कीमती पत्थर।
 - च) स्वर्ण चांदी, प्लेटिनम और किसी भी रूप में कीमती धातुएं जिनमें सादा और जड़ित आभूषण शामिल हों।
 - छ) अयस्क और सान्द्रण सभी प्रकार और सभी रूपों में।
 - ज) अनाज सभी प्रकार के।
 - झ) चीनी सभी प्रकार और सभी रूप में।
 - ञ) आईटीसी एचएस कोड 2709 से 2715 के तहत शामिल कच्चा/पेट्रोलियम तेल और कच्चे/पेट्रोलियम आधारित उत्पाद सभी प्रकार और सभी रूप में।
 - ट) अन्य निर्यातक की ओर से किसी निर्यातक द्वारा किया गया निर्यात निष्पादन।
- VII. मैं/हम आगे घोषणा करता हूँ/करते हैं कि निर्यात दस्तावेज, वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए लागू प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 2004-09 (अर्थात् 31-03-2005 को अद्यतन और समय-समय पर संशोधित) के पैरा 3.2.5 (I) विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुरूप है।
- VIII. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किसी अन्य निर्यातक से अथवा को निर्यात निष्पादन हस्तान्तरित नहीं किया गया।
- IX. मैंने/हमने 2005-06 के दौरान विशेष कृषि उपज योजना का लाभ नहीं उठाया/आवेदन नहीं किया जिसके लिए मैं/हमने प्रोत्साहनात्मक संवर्धन वृद्धि की गणना छोड़कर टार्गेट प्लस स्कीम के तहत लाभ उठा रहा हूँ।

- X. मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि पूँजीगत माल और/या कार्यालय उपकरण के संबंध में, क्षेत्राधिकार उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा एक स्वतन्त्र सनदी लेखाकार, जैसा भी नामला हो, से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें आयात की तिथि से 6 महीने के अन्दर अथवा उक्त सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर, आयातक की फैंकटरीयां परिसर में पूँजीगत माल और/या कार्यालय उपकरणों के संस्थापना की पुष्टि की गयी है।”

कार्यालय मुहर/
सोल

हस्ताक्षर -----
नाम बड़े अक्षरों में -----
पदनाम -----
स्थान -----
कार्यालय का पूरा पता -----
आवास का पता -----
ई.मेल पता -----

टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1: पैरा 3.7.4 के तहत निर्यात निष्पादन के समायोजन का तरीका

यदि आवेदक विदेश व्यापार नीति के अध्याय-9 में यथा परिभाषित एक समूह कम्पनी का हिस्सा है तो हकदारी को विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.7.4 के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यदि कोई स्टार समूह कम्पनी नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है तो समूह की आवेदक कम्पनी के निर्यात निष्पादन में से प्रत्येक स्वतंत्र स्टार निर्यात सदन के पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन को बनाए रखने के लिए आर एल ए द्वारा आवश्यक समायोजन किया जाएगा। समायोजन के बाद शेष को टारगेट फ्लस स्कीम को प्रदान करने हेतु आवेदक कम्पनी के निर्यात निष्पादन हेतु गिना जाएगा। उपरोक्त को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तालिका उदाहरणार्थ प्रस्तुत है :-

जहाँ कम्पनी ख आवेदक कम्पनी है और समूह में केवल दो स्टार निर्यात सदन हैं				
उदाहरण (कम्पनी ख 2005-06 हेतु समायोजित निर्यात निष्पादन और 2004-05 हेतु पात्र निर्यातों के पोट पर्यन्त निशुल्क मूल्य के बीच अन्तर हेतु पात्र है)				
समूह में कम्पनियाँ	पात्र निर्यातों हेतु पोट पर्यन्त निशुल्क मूल्य 2004-05	पात्र निर्यातों हेतु पोट पर्यन्त निशुल्क मूल्य 2005-06	समायोजन	2005-06 हेतु समायोजन के बाद निर्यात निष्पादन
क	50	10	40	50
ख	60	122	- 40	82
कुल (क + ख)	110	132		132
समूह वृद्धि		सकारात्मक		

इसी प्रकार, यदि निर्यात निष्पादन समायोजन के बाद 72 से कम रहता है (यानि कि अपेक्षित न्यूनतम संवर्धन वृद्धि दर 20% से कम) तो आवेदक कम्पनी पात्र नहीं है अथवा यदि समूह की सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों का कुल निष्पादन 110 से कम रहता है तो इस समूह के स्टार निर्यात सदन पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी2: इस आवेदन के लिए अमेरिकी डालर और भारतीय रूपये में निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेश मुद्रा में) जहाजरानी बिल से किया जाएगा। अमेरिकी डालर के अलावा मुद्राओं में निर्यात बिलों के लिए शिपिंग के अनुमत निर्यात आदेश की तारीख को सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा अधिसूचित रूपये के लिए अन्य मुद्रा (जैसे यूरो) का परिवर्तन दर और रूपये के लिए अमेरिकी डालर की परिवर्तन दर के आधार पर एक दूसरे के लिए परिवर्तन करके अमेरिकी डालर में परिवर्तन किया जाएगा।

टिप्पणी3: हटा दिया गया है।

टिप्पणी4. पात्रता की गणना

- i) 2004-05 (विगत वर्ष) में पात्र निर्यात का मूल्य क्रमांक-6 की पंक्ति-4 के कालम क के अनुसार 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए ।
- ii) क्रमांक-6 की पंक्ति-3क के अनुसार न्यूनतम प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि 20 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए ।

टिप्पणी5. विगत लाइसेंसिंग वर्ष (2004-05) की तुलना में चालू लाइसेंसिंग वर्ष (2005-06) में 20% के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में न्यूनतम प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि पर हकदारी की गणना की जाएगी तथा हकदारी की दर 5% होगी।

टिप्पणी6. 100 % से अधिक की संवर्धित वृद्धि को ड्यूटी क्रेडिट हकदारी की गणना हेतु नहीं माना जाएगा ।

टिप्पणी7. क्रमांक-6 की पंक्ति 12 में उल्लिखित उत्पाद समूह, निर्यात उत्पाद समूह होंगे । शेष उत्पाद समूह श्रेणी विविध में शामिल होंगे ।

टिप्पणी8. आवेदक इस आवेदन के क्रम सं. 6 की पंक्ति 11 के अनुसार शेष बकाया हकदारी का दावा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार अंतिम वसूली से तीन महीने के भीतर एकल समेकित पूरक आवेदन प्रस्तुत करके, कर सकता है। ऐसे मामलों में अलग से कटौती लागू नहीं की जाएगी ।

टिप्पणी9. यदि संलग्न घोषणा के क्रमांक-iv के तहत किए गए निर्यातों में एकल समूह से अधिक शामिल हैं तो आवेदक सी ए प्रमाण पत्र के क्रमांक - (vii) में यथा दर्शित उक्त समूहों में किसी एक निर्यात की घोषणा कर सकता है ।

टिप्पणी10. यदि स्कीम के तहत हकदारी के परिकलन से आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर सकता है। इसके ब्यौरे <http://commerce.nic.in/grc.htm>. उपलब्ध है।

आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. 2005-06 के दौरान वैध स्तर धारक प्रमाणपत्र की प्रति
2. 2005-06 के दौरान वैध तथा इस समय वैध आरसीएमसी की प्रति
3. परिशिष्ट 17घ के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र
4. परिशिष्ट 22क के अनुसार बैंकों, प्रत्येक बैंक के लिए समेकित, द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्यात और प्राप्ति (पात्र निर्यातों के लिए) का विवरण (www.nic.in/eximpol वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है)।
5. डीडी/टीआर चालान के रूप में आवेदन शुल्क।
6. निर्दिष्ट अथवा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज।

परिशिष्ट 17 घ का अनुलग्नक
स्तर धारकों के लिए लक्ष्योपरि योजना (2005-06)
सनदी लेखाकार/लागत एवं निर्माण लेखाकार/कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने लाइसेंसिंग अवधि (अवधियों) _____ के लिए मैसर्स _____ के निर्धारित रजिस्ट्रों और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कर ली है और एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि

- i) मैसर्स _____ (आवेदक का नाम और पता) जो एक स्तर निर्यात सदन है तथा जिसने क्रमांक 5 व 6 पर उल्लिखित निर्यातों की विवरणिका में विनिर्दिष्ट अनुसार लाइसेंसिंग वर्षों 2004-05 और 2005-06 के दौरान अपने नाम पर निर्यात किया है और वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए लागू प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 2004-09 (अर्थात 31-03-2005 को अद्यतन और समय-समय पर यथा संशोधित) के पैरा 3.2.5(i) में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप वसूल किए निर्यात के संबंध में लाभ का दावा किया जा रहा है।

आवेदक द्वारा निर्यात विवरण के जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/रिकार्ड्स प्रस्तुत किए गए हैं तथा मैंने/हमने इनकी जाँच तथा सत्यापन कर लिया है नामतः (जहाँ लागू हो निशान लगाएँ और ब्यौरा दें)

- क. निर्यात आदेश, बीजक
- ख. बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र/एफ आई आर सी तथा एसडीएफ/ जी आर घोषणा पत्र
- ग. पोतलदान बिल
- घ. अन्य कोई दस्तावेज (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

- ii) उपर्युक्त विवरणी में दी गई वित्तीय जानकारी संबंधित रजिस्ट्र और रिकार्डों के अनुरूप है, इसी सूचना को मैसर्स _____ और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में शामिल किया गया है, और यह सूचना सत्य और सही भी है।

8.	सभी प्रकार के अनाज	
9.	सभी प्रकार और सभी रूपों में चीनी ।	
10.	आईटीसी एचएस कोड 2709 से 2715 के तहत शामिल सभी प्रकार के और सभी रूपों में कच्चे पेट्रोलियम तेल और कच्चे/पेट्रोलियम आधारित उत्पाद ।	
11.	दूसरे निर्यातक की तरफ से एक निर्यातक द्वारा किया गया निर्यात निष्पादन	
	निर्यात की उपरोक्त श्रेणियों में ओवरलैपिंग श्रेणियां भी शामिल हैं ।	

viii) मैंने/हमने वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यात कारोबार की जाँच कर ली है, जो कि नीचे दिए गए हैं-

क्रम सं.	विवरण	2004-05 के दौरान निर्यात
01	वार्षिक निर्यात कारोबार	
02	आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र के क्रम सं.6 पर उल्लिखित श्रेणियों (क से ट) में किए गए निर्यात	
03	पात्र निर्यात = पंक्ति 01- पंक्ति-02	
04	पात्र निर्यात (रूपयों में)	
05	वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यातों के लिए विशेष कृषि उपज योजना के तहत निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (रूपयों में)	

हस्ताक्षर.....

नाम:

पता:

स्थान.....

दूरभाष सं०:.....

कार्यालय मुहर/
सील

दिनांक.....

पंजीकरण संख्या और निगमित सदस्यता की तारीख

वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए लक्ष्योपरि स्कीम हेतु आवेदन पत्र के क्रम सं. 6 की पंक्ति 7 के लिए परिकलन शीट

[(वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए आवेदन पत्र के क्रम सं.6 की पंक्ति 6 से बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राप्त रकम की प्रतिशतता (प्रतिशत में)]

1	2	3	4
क्रम सं.	पोतलदान बिल संख्या और दिनांक	पोत लदान बिल के अनुसार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र* के अनुसार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

	कुल		
	प्राप्त प्रतिशत (% में) = 100* कॉलम 4/ कॉलम 3		
<p>* टिप्पणी:- वर्ष 2005-06 (% में) पंक्ति 8 में बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) की प्रतिशतता के परिकलन के प्रयोजन हेतु यदि बीआरसी (कॉलम-4) के अनुसार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, पोत लदान बिल के अनुसार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से अधिक है तो कॉलम 4 का मूल्य कॉलम 3 के मूल्य के बराबर होना चाहिए। (अर्थात् इस गणना के लिए प्राप्त पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पोत लदान बिल के अनुसार मूल्य तक सीमित होगा।)</p>			

हस्ताक्षर.....

नाम:

पद:

स्थान:

कार्यालय मुहर/
सील

कार्यालय का पूरा पता:

घर का पता:

ई.मेल:

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th June, 2006

No. 22 (RE-2006)/2004—2009

F. No. 01/94/180/172/AM 06/PC-I.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures Vol. 1, 2004—2009, applicable for the exports during 2005-2006; (i.e. updated on 31-03-2005 and amended from time to time) :—

1. Application form (Appendix 17D) is annexed as Annexure 'A' to this Public Notice for Target Plus Scheme (2005-2006) for export period 2005-2006.
2. Appendix 17E and Para 3.2.5 (VIII) of Handbook of Procedures (Vol. 1, 2004—2009) updated on 31-03-2005 is deleted.
3. Para 3.2.5 (IX) is added as under : "Applicants shall file the applications in Appendix 17D to the Jurisdictional Zonal Office (Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi CLA) depending upon the location of Registered Office/Head Office of the applicant. The respective Zonal Committees in the Zonal Offices shall consider the applications and issue the licence or otherwise."
4. Para 3.2.5 (X) is added as under : "Application should be filed manually only to the Jurisdictional Zonal Office."

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign
Trade & ex-officio Addl. Secy.

Annexure A

APPENDIX 17-D

Application Form for Target Plus Scheme for Exports Effected during 2005-06

(Please see paragraph 3.7.1 to 3.7.8 of the Foreign Trade Policy 2004-09 applicable for the exports during 2005-06; (i.e. updated on 31.03.2005 and amended from time to time) and paragraph 3.2.5 of the Handbook of Procedures (Vol. 1) 2004-09 applicable for the exports during 2005-06; (i.e. updated on 31.03.2005 and amended from time to time).

FOR OFFICIAL USE

File No. _____

Date: _____

1.	Name and Address	:
2.	I E Code Number	:
3.	Details of Status Certificate		
	For the year 2005-'06	:	1 / 2 / 3 / 4 / 5 Star Export House /
	a) Status		EH / TH / STH / SSTH (tick the relevant Status)
	b) Status Certificate Number	:
	c) Date of Issuance	:
	d) Valid from	:
	e) Valid up to	:
4	RCMC No. and Date	:
	Issued by	:
5.	Details of All Star Export Houses of the Group (see Note 1)		
Sr. No.	Names of the Group Company	Status of the Company (1 / 2 / 3 / 4 / 5 Star Export House / EH / TH / STH / SSTH)	Eligible Export Turnover (Rupee in Crores)
			2004-05 2005-06
1			
2			
3			
	Total Group Turnover of all the Star Export Houses		

6. Calculation of Value of Export and Entitlement: (see Note 2 to 10)

Sr. No.	Categories	FOB Value of Exports in US\$	
		A 2004-05	B 2005-06
Row 01	Annual Export Turnover		
Row 02	Exports made in categories (a to k) mentioned at Sr. No. VI of the declaration appended hereto		
Row 03	Eligible Exports = Row 01 – Row 02		
Row 3A	Incremental Growth in US \$ (in %) = $100 * (\text{Column B of Row 3} - \text{Column A of Row 3}) / \text{Column A of Row 3}$		
Row 04	Eligible Exports (in Rupees)		
Row 05	FOB Value of Exports under Vishesh Krishi Upaj Yojana for exports during 2004-05 and 2005-06 (in Rupees)		
Row 06	Eligible Export for Duty Free Credit Entitlement (in Rupees) = (Column B of Row 05 – Column A of Row 05)		
Row 07	Percentage of amount Realized as per Bank Realization Certificate out of Row 06 in the Year 2005-06 (in %) (attach a calculation sheet as per format prescribed)		
Row 08	Value Cap on Target Plus Duty Free Credit Entitlement (in Rs) = $5\% * \text{Column A of Row 06}$		
Row 09	Total Target Plus Duty Free Credit Entitlement Eligible for (in Rs) = $\{5\% * (\text{Column B of Row 06} - \text{Column A of Row 06})\}$ or {Value Cap in Row 08 above}, whichever is lower		
Row 10	Value for Target Plus Duty Free Credit Entitlement applied for (in Rs) = $\{\text{Row 07} * \text{Row 09}\}$ or $\{\text{Row 07} * \text{Value Cap in Row 08 above}\}$, whichever is lower		
Row 11	Balance Target Plus Duty Free Credit Entitlement due (in Rs) = Row 09 - Row 10		
Row 12	Value wise details of Product Groups		
	Sr. No.	Product Groups	FOB Value of Eligible Exports in Rs (2005-06)
	1	Engineering	
	2	Chemicals	
	3	Plastics	
	4	Leather & Leather Products	
	5	Sports Goods	
	6	Fish & Fish Products	

18246I/06-3

7	Food Products	
8	Handicrafts	
9	Electronics	
10	Textiles	
11	Miscellaneous	

7. **Breakup for the Split-up Target Plus Entitlement, if any, requested for:**

Sr. No.	Entitlement	Break-up of the Entitlement for split-up	Port of Registration

8. **Details of the Application Fee:**

- Value of DD/TR:
- No. & Name of the issuing bank:

9. **Port of Registration (for import purpose):**

(for splits, please state the port of registration of each split, in Sr. No. 07 above)

10. **Endorsing supporting manufacturer as co-licensee, details thereof (optional):**

Goods allowed to be imported under this scheme shall have a broad nexus with the product exported and a declaration in this regard shall be made by the applicant in Appendix 17D. For the purpose of import entitlements under this scheme, 'broad nexus' would mean goods imported with reference to any of the product groups of the exported goods within the overall value of the entitlement certificate.

Sr. No. of Supporting Manufacturer	Name, Address, PAN Number, Phone No. of Associate Manufacturer / Supporting Manufacturer / job worker	Sr. No of Product Group	Product Groups	FOB Value of Eligible Exports 2005-06	
				US\$	Rupee
1		1			
		2			
		3			
Sub Total					
2		1			
		2			
Sub Total					

11. **DECLARATION CUM UNDERTAKING**

- I/We hereby declare that this application is based on exports made (in free foreign exchange) during the licensing year 2004-05 and 2005-06 and benefit is being claimed in respect of export proceeds realized in conformity with requirement prescribed in Para 3.2.5 (I) of Handbook of Procedures (Vol. 1) 2004-09, applicable for the exports during 2005-06; (i.e. updated on 31.03.2005 and amended from time to time).
- I/We further certify that I/We am/are authorized to verify and sign the statement on behalf of the applicant.
- I/We fully understand that any information furnished in the above statement, if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- I/We further declare that I/We has/have not applied nor obtained another Target Plus DFCE Entitlement Certificate issued under paragraph 3.7.1 of the Policy based on the exports made (in free foreign exchange) during 2005-06.

- V. I/We further declare that I/We shall comply with the provisions of the Foreign Trade Policy/Handbook of Procedure (Vol. I) and the relevant Customs notification while importing the goods under the scheme and subsequent use of the same under actual user condition.
- VI. I/We further declare that for calculating the value of exports, the following exports have not been taken into account, namely:

(a)	Export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through transshipment.
(b)	Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI/ BTP Schemes or Supplies made to such units or products manufactured by them and exported through DTA units.
(c)	Deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange and payment is made from EEFC account).
(d)	Service exports.
(e)	Diamonds and other precious, semi precious stones.
(f)	Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded jewellery.
(g)	Ores and Concentrates, of all types and in all forms
(h)	Cereals, of all types.
(i)	Sugar, of all types and in all forms.
(j)	Crude / Petroleum Oil & Crude / Petroleum based Products covered under ITC HS codes 2709 to 2715, of all types and in all forms.
(k)	Export performance made by one exporter on behalf of another exporter.

- VII. I/We further declare that export documents are in conformity with requirement prescribed in Para 3.2.5 (I) of Handbook of Procedures Vol. I 2004-09, applicable for the exports during 2005-06; (i.e. updated on 31.03.2005 and amended from time to time).
- VIII. I/We undertake that the export performance has not been transferred to or transferred from any other exporter.
- IX. I/We have not applied for/ taken the benefit of Vishesh Krishi Upaj Yojana for the exports during 2005-06 for which I am taking benefit under the Target Plus scheme except for calculation of percentage incremental growth.
- X. I/We further declare that in respect of capital goods and/or office equipments, a certificate from jurisdictional Deputy Commissioner Central Excise/Assistant Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Accountant, as the case may be, shall be produced confirming installation and use of capital goods and/or office equipments in the importer's factory or premises, within six months from the date of imports or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow."

Signature:

Name in Block Letters:

Designation:

Place:

Full Official Address:

Residential Address:

E-Mail address:



NOTES

Note 1: Method of Adjustment of Export Performance under Para 3.7.4

If the applicant is part of a Group Company as defined in Chapter 9 of Foreign Trade Policy, Entitlement will be adjusted in terms of Para 3.7.4 of Foreign Trade Policy. If any of the Star Group Companies show negative growth, necessary adjustment would be made by RLA to retain the last years' export performance of each individual star export house, out of the export performance of the applicant company of the group. The balance after adjustment would be counted for the export performance of the applicant company for grant of Target Plus Scheme benefits. Illustrative example is given in the following table to clarify the above.

Where Company B is the applicant company and there are only two star export houses in the group.

Illustration (Company B is eligible on difference between Adjusted Export Performance for 2005-06 and FOB Value of eligible exports for 2004-05)

Companies in the Group	FOB Value of eligible exports 2004-05	FOB Value of eligible exports 2005-06	Adjustment	Export Performance after Adjustment for 2005-06
A	50	10	40	50
B	60	122	-40	82
Total (A + B)	110	132		132
Groups Growth		Positive		

Similarly, if export performance after adjustment falls below 72 (i.e. below 20% required minimum incremental growth rate) then the applicant company is not eligible or if the combined performance of all Star Export House companies of the Group falls below 110 then all Star export houses of this group are not eligible.

Note 2: The FOB Value of Export (in free foreign exchange) in US\$ and in Indian Rupees for this application has to be taken from Shipping Bill. For export bills in currencies other than US\$, the conversion into US\$ may be taken by cross conversion on basis of the conversion rate of US \$ to Rupee and the conversion rate of other currency (say Euro) to Rupee as notified by the Customs on the date of let exports order of the shipment.

Note 3: Deleted.

Note 4: Calculating the eligibility

- i) The Value of Eligible Export in 2004-05 (previous year) should be greater than or equal to Rs 10 Crores as in Column A of Row 04 of Sr. No. 6.
- ii) Minimum Percentage Incremental growth in exports as in Row 03A of Sr. No. 6 should be greater than or equal to 20%.

Note 5: The entitlement shall be calculated on the minimum percentage incremental growth in FOB value of exports of 20% in the current licensing year (2005-06) over the previous licensing year (2004-05), and the rate of entitlement shall be 5%.

Note 6: Incremental growth beyond 100% will not qualify for computation of duty credit entitlement.

Note 7: The export product groups shall be the product groups listed in Row 12 of Sr. No. 6. Miscellaneous would cover the residual product group category.

Note 8: Applicant can claim the balance entitlement due as per Row 11 of Sr. No 6 of this application by filing a single consolidated supplementary application within 3 months of receipt of last realization as per RBI guidelines. No Supplementary cut will be imposed in such a case.

Note 9: In case exports made under Sr. No. IV of the declaration appended hereto are covered by more than a single category, the applicant may choose to declare such exports in any one of the said categories as reflected in the Sr. No (vii) of the CA certificate.

Note 10: If an applicant is not satisfied with the calculation of entitlement under the scheme, he may approach the Grievance Redressal Committee at the Ministry of Commerce & Industry. The details are available at <http://commerce.nic.in/grc.htm>.

Documents to be enclosed with the application form:

1. Copy of the status holder certificate valid during 2005-06.
2. Copy of RCMC valid during 2005-06 and valid currently.
3. CA Certificate as per enclosed annexure to Appendix 17D.
4. Statement of Export and Realization (for Eligible Exports) duly certified by the Bankers as per Appendix 22A, consolidated for each Bank. (Can be downloaded from Website www.nic.in/eximpol)
5. Application fee in the form of DD/TR Challan.
6. Any other Document that may be specified or called for.

Annexure to Appendix 17D Target Plus Scheme for Status Holders (2005-06)

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/COST AND WORKS ACCOUNTANT/COMPANY SECRETARY

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers and also the relevant records of M/s..... for the licensing period(s) and hereby certify that:

- i) M/s..... (Name and address of the applicant) who is a Star Export House has made exports in his own name during the licensing years, 2004-05 and 2005-06 as per the details supplied in the details of exports at Sr.No.5, 6 and the benefit is being claimed in respect of export proceeds realized in conformity with requirement prescribed in Para 3.2.5 (I) of Handbook of Procedures Vol. I 2004-09, applicable for the exports during 2005-06; (i.e. updated on 31.03.2005 and amended from time to time).
The following documents/records have been furnished by the applicant for verification of the export details and have been examined and verified by me/us namely:
(Tick whichever is applicable and give details)
 - a) Export Order, Invoice
 - b) Bank Realization Certificate/ FIRC's and SDF/GR declaration
 - c) Shipping Bills
 - d) Any other document (please specify).
- ii) The financial information given in the above statement is in agreement with the relevant register and records; the same has been incorporated in the books of accounts maintained by M/s..... and their subsidiaries; and is also true and correct.
I/We further declare that export documents are in conformity with requirement prescribed in Para 3.2.5 (I) of Handbook of Procedures Vol. I 2004-09, applicable for the exports during 2005-06 (i.e. updated on 31.03.2005 and amended from time to time). Where goods are procured from a manufacturer, the shipping bill contains the name of the exporter as well as the supporting manufacturer and no other party.
- iii) It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect; no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld;
- iv) Neither I, nor any of my partners is a partner, director, or an employee of the above-named entity or its associated concerns;
- v) I/We fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

- vi) I/We have verified that the applicant has received the realization in his own name, as per the statement of exports and realization given below.

Statement of Export for Eligible Exports						
Sr. No.	Name of the Exporter as per Shipping Bill	Shipping Bill Number	Let Export Date	Item Description	Product Groups	FOB Value of Eligible exports in 2005-06 (in US\$)
Total						

- vii) I/We have checked the ineligible export categories details which are as under:

Sr. No.	Category	FOB value of Exports (in US\$) 2005-06
1	Export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through transshipment.	
2	Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI/ BTP Schemes or Supplies made to such units or products manufactured by them and exported through DTA units.	
3	Deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange and payment is made from EEFC account).	
4	Service exports.	
5	Diamonds and other precious, semi precious stones.	
6	Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded jewellery.	
7	Ores and Concentrates, of all types and in all forms	
8	Cereals, of all types.	
9	Sugar, of all types and in all forms.	
10	Crude / Petroleum Oil & Crude / Petroleum based Products covered under ITC HS codes 2709 to 2715, of all types and in all forms	
11	Export performance made by one exporter on behalf of another exporter.	
	Above categories of exports may contain overlapping categories also	

- viii) I/We have checked export turnover during 2004-05, the details which are as under:

Sr. No.	Description	Exports during 2004-05
01	Annual Export Turnover	
02	Exports made in categories (a to k) mentioned at Sr. No. VI of the declaration appended to the application.	
03	Eligible Exports = Row 01 - Row 02	
04	Eligible Exports (in Rupees)	

05	FOB Value of Exports under Vishesh Krishi Upaj Yojana for exports during 2004-05 (in Rupees)	

Signature.....

Name:

Address:

Place.....

Tel. No.

Date.....

Regn. No. and Date of the Corporate Membership:.....



Calculation Sheet for Row 7 of Sr. No 6 of Application for Target Plus Scheme for exports during 2005-06

Percentage of amount realized out of Row 06 of Sr. No 6 of Application Form for exports during the Year 2005-06 as per Bank Realization Certificate (in %)

1	2	3	4
Sr. No.	Shipping Bill No & Date	FOB Value as per Shipping Bill	FOB Value as per BRC*
	Total		
	Percentage Realized (in %) = 100* Column 4 / Column 3		

**Note: For the purpose of calculating the percentage of amount realized as per Bank Realization Certificate (BRC) out of Row 8 in the Year 2005-06 (in %), in case the FOB Value as per BRC (Column 4) is more than FOB Value as per Shipping Bill (Column 3), then column 4 value has to be same as the value on Column 3 (i.e. The FOB value realized be limited to value as per Shipping Bill for the purpose of this calculation.)*



Signature:

Name in Block Letters:

Designation:

Place:

Full Official Address:

Residential Address:

E-Mail address: